16/11/22 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0 आये एवं
शपथ-पत्र जागीरा PW-1 पेश किया। वकील वादी और साक्ष्य
वादी पेश नहीं करना चाहते। प्रदर्श रिकार्ड किये गये। वकील
वादी की बहस अंतिम सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार
योग्य पाये जाने की स्थिति में डिक्री किया जाता है एवं
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर
[illegible] पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णित अनुसार
हो [illegible] कार्यवाही वाद ल वकील जमा जिला
[illegible] सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
264/2020	24.12.2020	16.12.2022

//उनवान//

1 जगदीश पुत्र बहादुर गुर्जर निवासी कालीपहाडी तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान।

:– वादी

बनाम

1 शिशपाल पुत्र बुद्धा
2 कर्मवीर पुत्र बुद्धा जातियान जाट निवासीयान जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
3 श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
4 श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:– असल प्रतिवादीगण

5 हरदानसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति गुर्जर निवासी मोहम्मदपुर तहसील बहरोड जिला अलवर, राजस्थान।
6 मामूनी पत्नि रवीश अग्रवाल जाति महाजन निवासी 5 अन्नासागर लिंक रोड अजमेर राजस्थान।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0ई0 दवामी ।

उपस्थितिः– श्री बस्तीराम यादव – वकील वादी

निर्णय

दिनांक– 16.12.2022

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0नं0 94/0.49, 1049/0.25 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी। खसरा नम्बर 94/0.49, 552/1.03, 553/1.64 है0 का 243/395 भाग दर 1/8 भाग प्रतिवादी सं0 1 से वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.01.2016 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के खरीद किया गया। दर्ज आराजी बाबत एक वाद तकासमा का बअनुवानी सत्यवीर बनाम कर्मवीर आदि मुकदमा नम्बर 318/2012 अदालत श्रीमान में विचाराधीन होने के कारण वादी एवं तर0 प्रतिवादी द्वारा खरीद किये गये खसरा नम्बर 94, 552, 553 का इन्तकाल दर्ज नहीं हो सका और उक्त वाद में मिनवादी व तर0 प्रतिवादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण ने वक्त खरीद आराजी मुतनाजा पर कब्जा ले लिया था और सभी सहखातेदारान को इस तथ्य की जानकारी हो चुकी थी कि शिशपाल ने अपना हिस्सा उक्तानुसार बेचान कर दिया परन्तु समस्त सहखातेदारान ने इस तथ्य को तत्कालीन वाद के विचाराधीन रहते छिपाए रखा और आराजी मुतनाजा के तकासमा की डिक्री बाला–बाला करा ली। उक्त डिक्री में ना तो वादी को पक्षकार बनाया ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त वाद में अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2016 को अदालत श्रीमान द्वारा पारित की गई थी। इसलिए डिक्री दिनांक 24.06.2016

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण के हकहकूकों के खिलाफ प्रभावी नहीं है एवं वादी व तर0 प्रतिवादीगण अपने अधिकारों व अपने हक हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिलाने को मुस्तहक है। आराजी मुतनाजा में खसरा नम्बर 94 में से उक्त डिक्री दिनांक 24.06.2016 के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में 72/220 हिस्सा आया तथा वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण द्वारा खरीद के अनुसार और रकबा हिस्से आना चाहिए वह इस खसरा नम्बर 94 में पूरा नहीं होता शेष खसरा नम्बर 552 सालिम प्रतिवादी सं0 3 व 12 ल0 14 के हिस्से में एवं ख0नं0 553 प्रतिवादी सं0 4 ल0 11 के हिस्से में चला गया है। आराजी ख0नं0 94, 552, 553 में से वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण द्वारा कुल रकबा 0.243 है0 बएवज प्रतिफल एवं बाकब्जा खरीद किया गया है, परन्तु वादी एवं तर0 प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हो पाये हैं। बयनामा वैध एवं हिस्से अनुसार कराया गया है, विक्रेता ने भी इस तथ्य को छिपाया और विक्रय के बाद भी विक्रयशुदा हिस्सा विक्रेता के हिस्से से कम नहीं किया गया। अदालत श्रीमान के समक्ष विक्रय के तथ्य को छिपाने से आराजी ख0नं0 94, 552, 553 में से विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा विक्रय के बाद विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से से कम किया जाकर वादी एवं तर0 प्रतिवादी के हिस्से दर्ज नहीं किया जा सका एवं हितबद्ध व्यक्ति को तत्कालीन वाद में सुनना चाहिए था ना ही श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जरिये पटवारी हल्का व कानूनगो द्वारा तैयार कुर्रे रिपोर्ट में वादी एवं तर0 प्रतिवादी के कब्जे की जांच की गई व कुर्रे कायमी के समय लापरवाही की गई यदि मौके के अनुसार कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार की गई होती तो अदालत श्रीमान के समक्ष वास्तविक तथ्य उजागर हो सकते थे। अब पूर्व के खसरा नम्बर के खिलाफ वाद दायरी एवं अनुतोष से पूर्व के समस्त सहखातेदारान के हित प्रभावित हो जाएंगे एवं तकासमा की डिक्री प्रभावित होती है जबकि वादी का अनुतोष केवल प्रतिवादी सं0 1 के खिलाफ है व प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से खसरा नम्बर 94 जिसका हाल खसरा नम्बर 126 व खसरा नम्बर 1049 जिसका हाल खसरा नम्बर 1342 आया है इसलिए वादी अब हाल खसरा नम्बर 126 व 1342 के लिए ही अनुतोष चाहता है जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं बढ़ेगी अंकित करते हुये वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध असल प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे की विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 94/0.49 है0 के हाल खसरा नम्बर 126/0.49 है0 का 72/220 भाग एवं साबिक ख0नं0 1049 के हाल ख0नं0 1342/0.25 है0 के 18/55 भाग का वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में से मिनवादी को 1/2 भाग का एवं तर0 प्रतिवादीगण को संभाग में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण के हिस्से आराजी तक प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं तर0 प्रतिवादी के नाम का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जावे एवं असल प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 1, 2, 5, 6 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है एवं प्रतिवादी सं0 3 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब पैरोकार पेश किया जिसके मुताबिक पैरा सं0 1 वाद में वर्णित आराजी वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर में स्थित है केवल इतना स्वीकार है बाकी वादी स्वयं सिद्ध करे एवं पैरा सं0 2 ल0 11 वादी स्वयं सिद्ध करे तथा पैरा सं0 12, 13, 14 कानूनी होकर श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है का अंकन करते हुये पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप बयनामा दिनांक 05.01.2016 की प्रति प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 किता 3 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सम्वत् 2072–75 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2071 किता 2 प्रदर्श–4 व 5 पेश किये एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र जगदीश पुत्र बहादुर पीडब्ल्यू–1 पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि खसरा नम्बर 94/0.49, 552/1.03, 553/1.64 है0 का 243/395 भाग दर 1/8 भाग प्रतिवादी सं0 1 से वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.01.2016 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के खरीद किया गया। दर्ज आराजी बाबत एक वाद तकासमा का बअनुवानी सत्यवीर बनाम कर्मवीर आदि मुकदमा नम्बर 318/2012 अदालत श्रीमान में विचाराधीन होने के कारण वादी एवं तर0 प्रतिवादी द्वारा खरीद किये गये खसरा नम्बर 94, 552, 553 का इन्तकाल दर्ज नहीं हो सका और उक्त वाद में वादी व तर0 प्रतिवादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण ने वक्त खरीद आराजी मुतनाजा पर कब्जा ले लिया था और सभी सहखातेदारान को इस तथ्य की जानकारी हो चुकी थी कि शिशपाल ने अपना हिस्सा उक्तानुसार बेचान कर दिया परन्तु समस्त सहखातेदारान ने इस तथ्य को तत्कालीन वाद के विचाराधीन रहते छिपाए रखा और आराजी मुतनाजा के तकासमा की डिक्री बाला–बाला करा ली। उक्त डिक्री में ना तो वादी को पक्षकार बनाया ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त वाद में अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2016 को अदालत श्रीमान द्वारा पारित की गई थी। इसलिए डिक्री दिनांक 24.06.2016 वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण के हकहकूकों के खिलाफ प्रभावी नहीं है एवं वादी व तर0 प्रतिवादीगण अपने अधिकारों व अपने हक हिस्से तक बातिल व बेअसर करार दिलाने को मुस्तहक है। आराजी मुतनाजा में खसरा नम्बर 94 में से उक्त डिक्री दिनांक 24.06.2016 के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में 72/220 हिस्सा आया तथा वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण द्वारा खरीद के अनुसार और रकबा हिस्से आना चाहिए वह इस खसरा नम्बर 94 में पूरा नहीं होता शेष खसरा नम्बर 552 सालिम प्रतिवादी सं0 3 व 12 ल0 14 के हिस्से में एवं ख0नं0 553 प्रतिवादी सं0 4 ल0 11 के हिस्से में चला गया है। आराजी ख0नं0 94, 552, 553 में से वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण द्वारा कुल रकबा 0.243 है0 बएवज प्रतिफल एवं बाकब्जा खरीद किया गया है, परन्तु वादी एवं तर0 प्रतिवादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हो पाये हैं। बयनामा वैध एवं हिस्से अनुसार कराया गया है, विक्रेता ने भी इस तथ्य को छिपाया और विक्रय के बाद भी विक्रयशुदा हिस्सा विक्रेता के हिस्से से कम नहीं किया गया। अदालत श्रीमान के समक्ष विक्रय के तथ्य को छिपाने से आराजी ख0नं0 94, 552, 553 में से विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा विक्रय के बाद विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से से कम किया जाकर वादी एवं तर0 प्रतिवादी के हिस्से दर्ज नहीं किया जा सका एवं हितबद्ध व्यक्ति को तत्कालीन वाद में सुनना चाहिए था ना ही श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जरिये पटवारी हल्का व कानूनगो द्वारा तैयार कुर्रे रिपोर्ट में वादी एवं तर0 प्रतिवादी के कब्जे की जांच की गई व कुर्रे कायमी के समय लापरवाही की गई यदि मौके के अनुसार कुर्रे कायमी रिपोर्ट तैयार की गई होती तो अदालत श्रीमान के समक्ष वास्तविक तथ्य उजागर हो सकते थे। अब पूर्व के खसरा नम्बर के खिलाफ वाद दायरी एवं अनुतोष से पूर्व के समस्त सहखातेदारान के हित प्रभावित हो जाएंगे एवं तकासमा की डिक्री प्रभावित होती है जबकि वादी का अनुतोष केवल प्रतिवादी सं0 1 के खिलाफ है व प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से खसरा नम्बर 94 जिसका हाल खसरा नम्बर 126 व खसरा नम्बर 1049 जिसका हाल खसरा नम्बर 1342 आया है इसलिए वादी अब हाल खसरा नम्बर 126 व 1342 के लिए ही अनुतोष चाहता है जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी नहीं बढ़ेगी अभिकथन करते हुये वादी के वाद को बहक वादी विरूद्ध असल प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे की विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 94/0.49 है0 के हाल खसरा नम्बर 126/0.49 है0 का 72/220 भाग एवं साबिक ख0नं0 1049 के हाल ख0नं0 1342/0.25 है0 के 18/55 भाग का वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 में से वादी को 1/2 भाग का एवं तर0 प्रतिवादीगण को संभाग में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल खसरा नम्बर 126/0.49 है0 एवं ख0नं0 1342/0.25 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 126/0.49 है0 एवं ख0नं0 1342/0.25 है0 के बाबत वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 के बाबत हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं हाल खसरा नम्बर 126/0.49 है0 के 72/220 भाग का तथा खसरा नम्बर 1342/0.25 है0 के 18/55 भाग का वादी को 1/2 भाग एवं तर0 प्रतिवादीगण को संभाग में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया है एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे आराजीयात को रहन बय हिबा आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा बैंक रहन की स्थिति में पक्षकारान को मिलने वाले शेष हिस्से रकबे एवं अन्य आराजीयात से बैंक ऋण राशि वसूलनिए रहेगी। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक **16.12.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

16-12-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
264 / 2020	24.12.2020	16.12..2022

//उनवान//

1 जगदीश पुत्र बहादुर गुर्जर निवासी कालीपहाडी तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान।

:– वादी

बनाम

1 शिशपाल पुत्र बुद्धा
2 कर्मवीर पुत्र बुद्धा जातियान जाट निवासीयान जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
3 श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
4 श्रीमान उपपंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:– असल प्रतिवादीगण

5 हरदानसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति गुर्जर निवासी मोहम्मदपुर तहसील बहरोड जिला अलवर, राजस्थान।
6 मामूनी पत्नि रवीश अग्रवाल जाति महाजन निवासी 5 अन्नासागर लिंक रोड अजमेर राजस्थान।

:– तर0 प्रतिवादीगण

दावा – इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बम्य हु0ई0 दवामी ।

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से एडवोकेट श्री बस्तीराम यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.12.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

अतः हाल खसरा नम्बर 126 / 0.49 है0 एवं ख0नं0 1342 / 0.25 है0 वाके ग्राम जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत के वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 126 / 0.49 है0 एवं ख0नं0 1342 / 0.25 है0 के बाबत वादी एवं तर0 प्रतिवादीगण की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 के बाबत हो रहे अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं हाल खसरा नम्बर 126 / 0.49 है0 के 72 / 220 भाग का तथा खसरा नम्बर 1342 / 0.25 है0 के 18 / 55 भाग का वादी को 1 / 2 भाग एवं तर0 प्रतिवादीगण को संभाग में 1 / 2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया है एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे आराजीयात को रहन बय हिबा आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा बैंक रहन की स्थिति में पक्षकारान को मिलने वाले शेष हिस्से रकबे एवं अन्य आराजीयात से बैंक ऋण राशि वसूलनिए रहेगी। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned with OKEN Scanner

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

16-12-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज०

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो इस हुक... में ज...
16/12/22	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की मूल दावा पत्रावली आज डिक्री कर निर्णित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में आगे कार्यवाही इजरा निष्पादन [illegible] स्वीकार कर निर्णित की जाती है। फैसला हुक्म [illegible] हो। नकल [illegible] हो। बाद तकमील शामिल मूल दावा रहे। हुक्म सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)